

HINDI SOLUTION

खंड 'अ'

- उ.1** (i) (स) अंग्रेजी की प्रभुता से है।
(ii) (अ) संपर्क— भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं
(iii) (ब) उसी राज्य की भाषा
(iv) (स) किसी राज्य की भाषा में
(v) (स) क्षेत्रीय भाषा
(vi) (स) हिंदी का ही
(vii) (स) व्यर्थ
(viii) (द) द्विभाषिकता
(ix) (द) यातायात और दूरसंचार
(x) (स) अंग्रेजी को अनावश्यक महत्व देना है।
- उ.2** (i) (स) काँटे मत बोओ
(ii) (अ) ममता की छाया में
(iii) (ब) मुँदे नयन—खुल जाते हैं
(iv) (अ) भय से दुखी न हो
(v) (ब) अत्यंत निर्बल
- उ.3** (i) (ब) फीचर
(ii) (अ) जन संचार
(iii) (अ) आमौखिक संचार
(iv) (अ) संपादकीय लेख
(v) (अ) शीर्षक
- उ.4** (i) (अ) शमशेर बहादुरसिंह
(ii) (ब) उषा
(iii) (ब) आकाश के लिए
(iv) (स) सूरज की पीली किरणों के लिए
(v) (ब) भौर के सभी रंग विलुप्त होने के लिए
- उ.5** (i) (अ) भक्ति से
(ii) (अ) महादेवी वर्मा
(iii) (ब) भक्ति को
(vi) (अ) हनुमानजी से
(v) (अ) समझदार

- उ.6 (i) (अ) श्याम मनोहर जोशी
 (ii) (ब) अविवाहित
 (iii) (ब) तीन बेटे एक बेटी
 (iv) (अ) पढ़ाई से हटा कर खेती के काम में लगाना
 (v) (ब) चौथी
 (vi) (द) उपर्युक्त सभी कारणों से
 (vii) (ब) बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में
 (viii) (अ) पाकिस्तान के सिंध प्रांत में
 (ix) (ब) दो
 (x) (अ) 2 जून 1942

खण्ड 'ब'

- उ.7 (अ) आरक्षण

लक्ष्य और उद्देश्य के अन्तर को समझकर ही किसी कार्य को अच्छा या बुरा ठहराया जा सकता है। हाथ में चाकू थामें एक एक डॉक्टर और अपराधी का लक्ष्य भले ही एक हो (पेट चीरना) लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग—अलग होता है। अपराधी जिस चाकू को हत्या के लिए इस्तेमाल करता है। उसे ही डॉक्टर चीरा लगाकर मरीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करता है। हमारे सविधान के निर्माताओं ने समाज में सदियों से दबे—कुचले लोगों को बराबरी का अवसर प्रदान करे के उद्देश्य से आरक्षण का प्रावधान रहा था। आरक्षण को चुनाव जीतने का औजार बनाने की बात उनकी कल्पना से परे रही होगी। दुर्भाग्य से आज आरक्षण को राजनीति के कीचड़ में धसीटकर विवादास्पद बना दिया गया हैं इसके लिए आरक्षण लागू करने वाले उसका विरोध करने वाले दोनों ही पक्ष बराबर के जिम्मेदार हैं पीढ़ियों से मलाई उठाने वाला तबका आरक्षण में अडगेंबाजी करने के लिए कभी योग्यता का शिगूफा छोड़ता है तो कभी जाति नहीं, आर्थिक स्थिति को आरक्षण का आधार बनाने की माँग करता है अपवाद छोड़ दे तो यह सर्वमान्य तथ्य है कि भारत में जो जाति से पछिड़ा हैं वह आर्थिक तौर से भी कमजोर है। रही बात योग्यता की तो समान सुविधा और समान परिस्थितियाँ मुहैया कराने के बाद ही योग्यता की माँग उठाना तर्कसंगत कहा जायेगा। किसी नामी मल्ल से कुश्ती के लिए एक गरीब और कमजोर इंसान को अखाड़े में उतारा जाना अन्याय कहलाएगा। नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में जल्दबाजी में आरक्षण लागू करने वाले राजनैतिक दलों का उद्देश्य दरअसल पिछड़े वर्ग से अधिक खुद अपना कल्याण करना हैं पिछड़े वर्ग का वोट बटोरने के उद्देश्य से जल्दबाजी में उठाए गए कदमों से समाज में विग्रह पैदा होते हैं। ऐसे कानूनों को अदालत में घसीटा जाता हैं जिससे उनका कार्यान्वयन ढीला पड़ जाता है। पिछले साल सरकार ने केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का जो कानून बनाया, उसे भी उच्चतम — न्यायालय में चुनौती दी गई है। अदालत ने कानून बनाने के आधार को लेकर जो सवाल उठाया है। वह राजनैतिक दलों की नीयत पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। अच्छा होता ऐसी नौबत नहीं आती।

भारत में जाति आधारित अन्तिम जनगणना 1931 में हुई और उसके आधार पर ही पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया। पर जातियाँ लगातार बदली हैं और पेशे भी। निश्चत ही इतने वर्ष में कुछ जातीय समीकरण बदले होगे जिन्हें जानना जरूरी है। संसदीय समिति पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए नये सर्वेक्षण का सुझाव दे ही चुकी है। अच्छा हो सरकार इस बारे में

शीघ्र कदम उठाए। नए आँकड़े आने कके बाद पिछड़े वर्ग को लेकर उठाई जाने वाली सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन जब तक ताजा आँकड़े उपलब्ध नहीं हाते, जब तक पुराने आधार पर ही आरक्षण लागू रहना चाहिए। नए आँकड़े की आड में आरक्षण को अनन्त काल तक स्थगित किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सेवामे,

प्रबन्धक,
श्रीमान महोदय,
स्वास्तिक इण्डस्ट्रीज,
जूनापुर।

विषय : लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रोजगार समाचार 16 अगस्त, 2007 के अंक में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि आपके प्रतिष्ठान में लिपिक पद हेतु पद रिक्त है। उक्त पद हेतु मेरी वैयतिक एवं शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्न है—

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. पिता का नाम,
4. शैक्षणिक योग्यता—

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बीड़ी वि.वि.	परिणाम
(i)	परीक्षा का नाम	मा. शि. बोर्ड, राज.	80 प्रतिशत
(ii)	सैकण्डरी	मा. शि. बोर्ड, राज.	85 प्रतिशत
(iii)	बी. ए.	राज. वि. वि.	70 प्रतिशत
5. अन्य योग्यता	—	कम्प्यूटर में डिप्लोमा	
6. कार्यानुभव	—	विगत दो वर्षों से एक निजी संस्थान में लिपिक पद पर कार्य।	
7. पत्र व्यवहार हेतु पता	—	420, मायानगरी, रत्नगढ़	

महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया गया तो मैं पूर्ण ईमानदारी, परिश्रम, लगन एवं निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करूँगा तथा अपने सदाचरण से प्रबन्धकों एवं सहकर्मियों को सन्तुष्ट रखूँगा। मुझे आपसे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान कर अनुगृहीत करेंगे।

भवदीय
क ख ग

- उ.9 (i) कहानी को मूर्त रूप देनेवाला यह कहानी का तत्व वास्तव में एक या दो—चार संक्षिप्त घटनाओं का संचयन होता है। अनावश्यक व्यौरे तथा वर्णनों के लिए यहां स्थान नहीं होता। सबंधाए तारमस्यए कौतुहल कथानक के अंग माने जाते हैं। वर्णन में सूक्ष्मता भी कथानक के लिए आवश्यक हैं कहानी में कथा की मुख्य चार अवस्थाएं होती हैं— आरंभ, आरोह, चरम सीमा, अवरोह। कहानी के कथा आरंभ पात्र परिचय, वातावरण चित्रण या मनोचित्रण की विशेष स्थिति में होता है। घटनाएं घात—प्रतिघात आरोह कहलाएंगी। इससे उत्पन्न परिणाम चरम सीमा और अंत में जब पाठकों की उत्सुकता क्षमित होगी तब उपर्युक्त होगा।
- (ii) नाटक में नाटक का अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है तथा समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वह विनयी, सुंदर, शालीनवान, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए। किंतु आज नाटकों में किसान, मजदूर आदि कोई भी पात्र हो सकता है। पात्रों के संदर्भ में नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने में तथा नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक होते हैं।

- उ.10** (i) किसी समाचार पत्र की निति के अनुसार किसी सामयिक घटना पर टिप्पणी करते हुए लेख लिखना सम्पादकीय लेखन कहलाता है। यह लेख प्रतिदिन छपता है। इसका लेखन संपादक मंडल में से कोई एक करता है। वह अपनी निजी राय देने की बजाय समाचार पत्र की नीति को महत्व देता है। किसी एक व्यक्ति का निजी मत न होने के कारण सम्पादकीय के नीचे किसी का नाम नहीं लिखा जाता संपादन का सिद्धांत है तथ्यों की शु(ता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्तोत्र की प्रमाणिकता व विविधता।
- (ii) अखबार की खबरे स्थाई होती है जबकि रेडियो की खबरे सुनने के बाद प्रभाव खो देती है। अखबार की खबरों में क्रमिकता की आवश्यकता नहीं होती जबकि रेडियो समाचारों को उसी क्रम में सुनना पड़ता है अखबार की खबरों के लिए अक्षर ज्ञान आवश्यक है जबकि रेडियो समाचार के लिए अक्षर ज्ञान आवश्यक नहीं है। अखबार की खबरों में व्याकरण और वर्तनी की शु(ता आवश्यक है जबकि रेडियो की खबरों में उच्चारण की शद्धता आवश्यक है, अखबार की खबरों का माध्यम शब्द है रेडियो की खबरों का माध्यम शब्द और आवाज है।
- उ.11** (i) यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुँचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुणा भाव को दर्शाता है। परन्तु वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है। जिसे देखकर उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुँच जाती है।
- (ii) कवि के मन में अपने प्रियतम का अपार आकर्षण तथा प्रेम भरा हुआ है। इस प्रेम को कवि जितना ही व्यक्त करता है। उतना ही अधिक वह उसके हृदय में उमड़ने लगता है। उसके हृदय से निकलने वाले प्रेमोद्गारों का अन्त नहीं है। अतः कवि को आशंका होती है कि क्या उसके हृदय में कोई प्रेम का झरना बह रहा है। जिसकी अनन्त जलराशि उसके मन में प्रेम के भावों से रिक्त नहीं होने देती और उसका मन बार-बार प्रियतम के प्रति प्रेम – भाव से भर जाता है।
- उ.12** (i) सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य के किरणें जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का सौन्दर्य क्षण – क्षण में परिवर्तन होता रहता हैं यह उषा का जादू है नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिन्ब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो जाते हैं।
- (ii) वैद्य सुषेण ने बताया था कि भोर होने से पहले संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण का जीवन संभव है, वरना उसकी मृत्यु हो सकती है। भोर होने के करीब थी, किन्तु हनुमान का पता तक नहीं था। अतः राम लक्ष्मण की मृत्यु के भय से भयभीत हो गए थे। वे विलाप करने लगे थे। इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए। उन्हें देखकर राम का शोक एकदम शांत हो गया। रुदन में आशा और उत्साह का संचार हो गया। सारा वातावरण शोक की बजाय एकदम वीर रक्षात्मक हो गया।
- उ.13** (i) भवित्वन का वास्तविक नाम था – लछमिन अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम समृद्धि व ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परन्तु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। लक्ष्मी बहुत गरीब है। वह जानती है कि समृद्धि का सूचक यह नाम गरीब महिला को शांभा नहीं देता। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। समाज उसके नाम को सुनकर उसका उपहास न उड़ाए। इसीलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। उसने महादेवी से प्रार्थना की कि वह उसके असली नाम का प्रयोग न करे। भवित्वन को यह नाम लेखिका ने दिया। उसके गले में कंठीमाला व मुँडे हुए सिर से वह भवित्वन ही लग रही थी। उसमें सेवा भावना व कर्तव्यपरायणता को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम ‘भवित्वन’ रखा।
- (ii) भगत जी चौक – बाजार में आँखे खोलकर चलते हैं, लेकिन उसे देखकर भाँचके नहीं होते। उनके व्यवहार में असमंजस नहीं होता। वे खोए-खोए से नहीं खड़े रहते। भाँति-भाँति के प्रति उनके मन में कोई अप्रीति का भाव भी नहीं आता। वे खुली आँख, तुष्ट मन और मग्न भाव से चौक-बाजार में से चले जाते हैं। मार्ग में पड़ने वाले फैसी स्टोरों पर भी वे नहीं रुकते। उनको जीरा और काला नमक खरीदना होता है। अतः वे पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। उनके व्यवित्तत्व का यह सशक्त पहलू लेख में उभरकर आया है। निश्चय ही भगत जी का आचरण समाज में शान्ति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। अधिक से अधिक सामान जोड़ने की वासना समाज में अशान्ति उत्पन्न करती है। यदि व्यवित्त अपनी आवश्यकतानुसार ही खरीददारी करे, तो महँगाई नहीं बढ़ेगी। मनुष्यों में असंतोष नहीं होगा। अतः समाज में शांति स्थापित हो सकेगी।

उ.14 (i)

लेखक पानी बरसाने के लिए इन्दर सेना के तरीकों तथा धर्म के नाम पर त्यौहारों तथा पर्वों पर होने वाले परम्परागत कामों का अन्धविश्वास तथा पाखण्ड मानता था। उसका विचार था कि इन बातों के कारण भारतीय अंग्रेजों की तुलना पिछड़ गए हैं अपने ऊपर आर्यसमाजी प्रभाव के कारण वह इन बातों का खण्डन कठोर तर्कों से करता था परन्तु उसकी मुश्किल यह थी कि जीजी के प्यार के कारण उसको ये सभी काम अनिश्चापूर्वक करने पड़ते थे। उनको इन ब्रतों, पूजा तथा अनुष्ठानों में गहरी श्रद्धा तथा विश्वास था। लेखक उनके स्नेह के कारण उनके मन को दुखी नहीं करना चाहता था। मन से सहमत न होने पर भी इन कामों को करता जाता था।

(ii) बचपन में नौ वर्ष की आयु में उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई। किशोरावस्था में उसने श्यामनगर दंगल में चाँद सिंह नामक शेर के बच्चे को हराया तथा 'राज पहलवान' का दर्जा हासिल किया। राजा साहब के अचानक स्वर्गवास के बाद नए राजा ने उसे दरबार से हटा दिया। वह गाँव लौट आया। अकस्मात् सूखा व महामारी से गाँव में हाहाकार मच गया। उसके दोनों बेटे भी इस महामारी की चपेट में आ गए। वह उन्हें कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। पुत्रों की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन अकेला रहा और अंत में चल बसा।

